राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक : राजस्व / कोर्ट / 2021 / 157 / 2021 दिनांकः 07.07.2021

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषयः पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. देबीदांस पिता हजारीदास जाति बैरागी निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
2. दुर्गा पुत्री हजारीदास जाति बैरागी निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
3. शांतिबाई पत्नि हजारीदास जाति बैरागी निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।

बनाम

1. कजोड पिता जयाम जाति धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. भोजा पिता भीमडा जाति बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
3. गोपाल पिता रामसुख जाति बैरवा निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता की सरहद में स्थित खाता संख्या 117 की आराजी संख्या 1044 / 610,1091 / 610,1161 / 610 कुल किता 3 रकबा 1.2950 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 / – रूपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100 / – रूपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner